भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 463
उत्तर देने की तारीख- 23.07.2025

सिद्दी जनजाति के कल्याण के लिए उठाए गए कदम

463. श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) मंत्रालय द्वारा सिद्दी जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) पिछले पांच वर्षों में इस उद्देश्य के लिए कितना धन आवंटित किया गया है; और
(ग) मंत्रालय द्वारा गुजरात राज्य सरकार और इससे जुड़े अन्य हितधारकों के परामर्श से सिद्दी जनजातीय समुदाय की पारंपरिक कला और संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): गुजरात में सिद्दी समुदाय सहित 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे कि सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क तक बेहतर पहुंच, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। पीएम जनमन का कुल बजटीय परिव्यय ₹24,104 करोड़ है (केंद्रीय हिस्सा: ₹15336 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹8768 करोड़)।

पीएम जनमन के शुभारंभ से पहले, जनजातीय कार्य मंत्रालय गुजरात में सिद्दी समुदाय सहित पीवीटीजी के विकास के लिए, "पीवीटीजी के विकास" की योजना को क्रियान्वित कर रहा था, जिसमें संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश को संरक्षण सह विकास (सीसीडी) योजनाओं के लिए उनके प्रस्तावों के आधार पर निधियां उपलब्ध करायी जाती थीं। ये बुनियादी ढांचे में अंतरों को भरने के लिए थी और मांग आधारित थीं। पीएम-जनमन योजना की शुरूआत के साथ 'पीवीटीजी का विकास' योजना बन्द कर दी गई और मंत्रालय ने केवल मार्च 2025 तक की प्रतिबद्ध देनदारियां प्रदान की।

गुजरात में सिद्दी समुदाय के संदर्भ में, सिद्दी समुदाय मुख्यतः गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले के तलाला तालुका में बसा हुआ है। सिद्दी समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) आदिमजुथ समुदाय के अंतर्गत शामिल किया गया है। गुजरात में सिद्दी समुदाय के सर्वेक्षण के अनुसार, उनकी कुल जनसंख्या 12959 है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) आदिमजूथ समुदाय के समग्र विकास के लिए, गुजरात सरकार द्वारा 2013 से "मुख्यमंत्री आदिमजूथ सर्वांगी उत्कर्ष योजना" लागू की गई है। यह योजना व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास कार्यों सहित बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करती है। जिसमें व्यक्तिगत कार्यों में आवास, रोज़गार और सामुदायिक

विकास कार्य जैसे सड़क, आंगनवाड़ी निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, दुग्ध-घर, बहुउद्देशीय उपयोगिता केंद्र, विद्युतीकरण, पारिस्थितिकी पर्यटन (इको-टूरिज्म) शामिल हैं।

पिछले पाँच वर्षों में, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) मुख्यमंत्री आदिमजूथ सर्वांगी उत्कर्ष योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए 1490.83 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	आवंटित निधियों की राशि (लाख रुपये में)
1.	2020-21	168.00
2.	2021-22	189.91
3.	2022-23	198.64
4.	2023-24	458.50
5.	2024-25	475.78

जनजातीय कार्य मंत्रालय, सिद्दी जनजातीय समुदाय सहित अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) : जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्र प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता' के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति के अनुमोदन के अधीन है। इस योजना के अंतर्गत, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्तावों, अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण गतिविधियों और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, जनजातीय त्योहारों के आयोजन, अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्राओं और जनजातियों द्वारा आदान-प्रदान यात्राओं का आयोजन किया जाता है ताकि उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषाओं और अनुष्ठानों को संरक्षित और प्रसारित किया जा सके।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई), गुजरात और अन्य संबंधित हितधारकों के समन्वय से, सिद्दी समुदाय की पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं।

- पारंपरिक जनजातीय हस्तशिल्प मेला योजना:- गुजरात सरकार द्वारा 2016-17 में शुरू किया गया और जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई), गुजरात द्वारा कार्यान्वित किया गया। यह योजना सिद्दी समुदाय सहित जनजातीय कारीगरों को अपने हस्तशिल्प का प्रदर्शन, प्रचार और विपणन करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इस योजना के तहत, जनजातीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए, टीआरआई गुजरात के प्रमुख शहरी केंद्रों में सालाना पाँच से छह शिल्प मेलों का आयोजन करता है। ये मेले आम तौर पर पांच से आठ दिनों तक चलते हैं और राज्य भर के प्रमुख शहरों में आयोजित किये जाते हैं।
- सिद्दी नृत्य (धमाल) को बढ़ावा देना:- सिद्दी जनजाति के लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य रूप, धमाल को बढ़ावा देने के लिए, टीआरआई गुजरात ने इसके संरक्षण और सार्वजनिक मान्यता के समर्थन के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इस नृत्य के विशिष्ट रूप जनजातीय कला और शिल्प मेलों में प्रमुखता से प्रदर्शित होते हैं, जिससे इसकी दृश्यता और प्रशंसा को बढ़ावा मिलता है। सिद्दी मंडली नियमित रूप से प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों में प्रस्तुति देती है, जिनमें जनजातीय गौरव दिवस (9 अगस्त) और विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव शामिल हैं। इस वर्ष में, इस मंडली को जनजातीय समारोहों के दौरान स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी पर प्रस्तुति देने का सम्मान प्राप्त

हुआ। 2019 में, टीआरआई गुजरात ने तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से, वाद्य यंत्रों से युक्त धमाल नृत्य किट निःशुल्क प्रदान की।

- प्रलेखन और अनुसंधानः- टीआरआई गुजरात ने सिद्दी समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को दर्शाती एक लघु वृत्तचित्र फिल्म का दस्तावेजीकरण किया है। इसके अलावा, टीआरआई गुजरात ने सिद्दी समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक आयामों का अन्वेषण करते हुए नृवंशविज्ञान संबंधी अनुसंधान भी किया है और इन अध्ययनों के निष्कर्षों पर आधारित पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

अनुलग्नक

“सिद्दी जनजाति के कल्याण के लिए उठाए गए कदम” के संबंध में श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया द्वारा दिनांक 23.07.2025 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 463 के भाग (क) और भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण:

(i) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गाँवों में बुनियादी ढाँचे की अंतरों को दूर करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ (केंद्रीय अंश: ₹56,333 करोड़ और राज्य अंश: ₹22,823 करोड़) रुपये है।

(ii) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन): सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है।

लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाले इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में समयबद्ध तरीके से पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करना है।

(iii) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम): जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं के विलय के माध्यम से डिजाइन किया गया है, अर्थात, “न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास” और “जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता”।

इस योजना में चयनित लघु वनोपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण और घोषणा करने की परिकल्पना की गई है। किसी विशेष लघु वनोपज (एमएफपी) वस्तु का प्रचलित बाजार मूल्य निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में, पूर्व-निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और विपणन कार्य, निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही, सतत संग्रहण, मूल्य संवर्धन, अवसंरचना विकास, लघु वनोपज (एमएफपी) के ज्ञान आधार का विस्तार और बाजार सूचना विकास जैसे अन्य मध्यम और दीर्घकालिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

(iv) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शुरू किए गए थे। नई योजना के अंतर्गत, सरकार ने 440 ईएमआरएस, जहाँ 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय लोग (2011 की जनगणना के अनुसार) हैं वहां प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है। 288 ईएमआरएस स्कूलों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत

किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

(v) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बेहतर बनाने और जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों को अनुदान जारी किए जाते हैं। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों को धनराशि जारी की जाती है।

(vi) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, जिसमें आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, आजीविका आदि शामिल हैं।

(vii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना कक्षा IX-X में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू है। माता-पिता की सभी स्रोतों से आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों को 225 रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों को 525 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जहाँ यह अनुपात 90:10 है को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(viii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। माता-पिता की सभी स्रोतों से आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जहां यह 90:10 है को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(ix) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियाँ: यह योजना चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रतिवर्ष कुल 20 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इनमें से 17 छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए और 3 छात्रवृत्तियाँ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के छात्रों के लिए हैं। माता-पिता/परिवार की सभी स्रोतों से आय ₹6.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(x) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- (उच्च श्रेणी) योजना [स्नातक स्तर]: इस योजना का उद्देश्य मेधावी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मंत्रालय द्वारा चिन्हित देश भर के 265 उत्कृष्ट संस्थानों, जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में से किसी में भी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना है। सभी स्रोतों से पारिवारिक आय

6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि में शिक्षण शुल्क, रहने का खर्च और पुस्तकों व कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: भारत में एमफिल और पीएचडी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रति वर्ष 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी के मानदंडों के अनुसार प्रदान की जाती है।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: मंत्रालय इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को जहां पहले से नए टीआरआई स्थापित नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान करता है और मौजूदा टीआरआई के कामकाज को मजबूत किया जा सके ताकि अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने आदि के प्रति अपनी मुख्य जिम्मेदारी को पूरा किया जा सके। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, कला और कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, राज्य के अन्य हिस्सों में आदिवासियों के लिए आदान-प्रदान यात्राओं, जनजातीय त्योहारों के आयोजन आदि के माध्यम से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां करने के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शीर्ष समिति के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार टीआरआई को 100% सहायता अनुदान वित्त पोषित है।

मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य-वार निधि आवंटन निम्नानुसार है:

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25*
1	गुजरात	21.99	36.89	54.52	62.00	9.23

*अनंतिम

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य- क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25*
1	गुजरात	229.78	461.70	244.26	350.00	231.22

*अनंतिम

पीएम-जनमन के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25*
1	गुजरात	1.66	4.37

*अनंतिम

“पीवीटीजी का विकास” योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
1	गुजरात	552.2	761.8	1731.2	0	0

*अनंतिम

वीडीवीके की स्थापना के लिए स्वीकृत धनराशि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत वीडीवीके की कुल संख्या	स्वीकृत धनराशि (लाखों में)
1	गुजरात	200	2895.65

पिछले पांच वर्षों में एनएसटीएफडीसी द्वारा वितरित ऋण की राशि

लाख रुपये में

क्रम सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
		वितरित राशि	वितरित राशि	वितरित राशि	वितरित राशि	वितरित राशि
1	गुजरात	1442.03	2022.50	1019.61	2810.12	4931.39

*अनंतिम

पीएम-जनमन वन धन विकास केंद्रों की स्थापना के लिए स्वीकृत धनराशि

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत वीडीवीके	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	गुजरात	21	52.5

पिछले 5 वर्षों के दौरान एससीए टू टीएसएस/पीएमएएजीवाई को जारी की गई राज्यवार निधि

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एससीए टू टीएसएस	पीएमएएजीवाई			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
		निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि
1	गुजरात	10786.40	15916.78	19401.76	0.00	0.00

*अनंतिम

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत जारी धनराशि दर्शाने वाला विवरण (05.06.2025

तक)						
						(रुपये लाख में)
क्र.सं.	*राज्य*	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
		कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति
1	गुजरात	5940.04	6923.79	7549.12	4584.77	2727.27

*अनंतिम

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान जारी धनराशि का विवरण					
					(रुपये लाख में)
राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
गुजरात	120.98	104.03	284.73	299.17	338.79

*अनंतिम

2020-21 से 2024-25 के दौरान 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' योजना के अंतर्गत जारी धनराशि का विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य	निर्मुक्त निधि				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
1	गुजरात	0.00	0	0.00	0.00	250.00

*अनंतिम

*****